



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 883]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सं. 42/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1338(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 10ग और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10घ	अध्याय 99	उन सेवाओं की आपूर्ति जिनकी आपूर्ति का स्थान नेपाल या भूटान में तथा भारतीय रुपये के भुगतान के एवज में होती हो	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

[फा. सं. 354/221/2017-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 33/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 1276(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2017

No. 42/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1338(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, after serial number 10C and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10D	Chapter 99	Supply of services having place of supply in Nepal or Bhutan, against payment in Indian Rupees	Nil	Nil”.

[F. No. 354/221/2017-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 33/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 *vide* number G.S.R. 1276(E), dated the 13th October, 2017.